94

प्रेषक, सं0 - /XXIV(1)/2012-03/2012

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक: ०१ नवम्बर, 2012

विषयः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1)(c) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या अर्थ-2/5785-86/5क(01)06/2012-13 दिनांक 27.9.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1)(c) के अन्तर्गत निजी/असाहयता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेशित बच्चो की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष अनुदान-11 में कुल धनराशि **रू0 2,73,11,000-00 (रूपये दो करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) धनराशि का व्यय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(2) के अनुसार प्रतिबच्चा व्यय निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 142/xxvii(1)/2012-45/2008 टी0सी0 I दिनॉक 2.4.2012 में इंगित व्यवस्थाओं व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0 321/xxvii(1)/2012, दिनांक 19.6.2012 एवं शासनादेश सं0 193/xxvii(1)/2012, दिनॉक 30.3.2012 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं अन्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत यथास्थिति जैसी आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(8) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102 –अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–24–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत मानक मद–42–अन्य व्यय के शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 124 (P)/xxvii(1)/2012-13 दिनांक 2.11.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

सं0 ८६१ (i)/XXIV(1)/2012–03/2012 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक प्रा0शि0 के माध्यम से)।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव।